मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-12.04.2017 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में राज्य सरकार के विरुद्ध गत माह माननीय उच्च न्यायालय में दायर मामलों के ऊपर चर्चा करते हुए बताया गया कि गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध कुल 1318 नये मामले दायर किए गए तथा मात्र 1096 मामलों मे ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इसी क्रम में CWJC के लंबित मामलों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि गत माह CWJC के 1002 मामलें दायर हुए जिनमें मात्र 860 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इस बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि विभागों के माध्यम से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध जितने नये मामले दायर होते हैं उससे अधिक मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किये जाने का प्रयास किया जाय ताकि पूर्व से लंबित चले आ रहे मामलों की संख्या में कमी लायी जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे विभागों के चिन्हित किया जाय जहाँ गत माह नए दायर मामलों की अपेक्षाकृत कम मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया हो।

वैसे मुख्य विभाग जहाँ गत माह नए दायर मामलों की अपेक्षा कम मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया है, उनकी विवरणी निम्न है:-

क्रम सं0	विभाग का नाम	गत माह दायर मामलों की सं0	गत माह दायर प्रतिशपथ/ कारणपृच्छा की सं0
	CWJC		
1	शिक्षा विभाग	341	185
2	पंचायती राज विभाग	47	5
3	पर्यावरण एवं वन विभाग	39	17
4	कृषि विभाग	32	10
5	ग्रामीण विकास विभाग	15	1
6	योजना एवं विकास विभाग	15	4
7	सहकारिता विभाग	14	4
8	उद्योग विभाग	8	2
	MJC		
1	शिक्षा विभाग	66	42
2	ग्रामीण कार्य विभाग	7	2
3	भवन निर्माण विभाग	5	1
	LPA		
1	पर्यावरण एवं वन विभाग	79	0

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी विभागों में से शिक्षा विभाग में लंबित मामलों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों को बताया गया कि सरकार के स्तर से सभी विभागों को प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किए जाने हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है, उचित मात्रा में विभागवार अधिवक्ता भी उपलब्ध कराये गये है, अत: ऐसी स्थिति उत्पन्न होना चिंता जनक है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभाग को अपने यहाँ लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निदेश दिया गया।

2. बैठक में वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि विधि विभाग से निर्गत पत्र जिसमें उल्लेखित है कि वैसे मामले जिनमें एक से अधिक विभाग प्रतिवादी हो उन मामलों में मुख्य प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर किया जाएगा। इस क्रम में वित्त विभाग के द्वारा बताया गया कि किसी विभाग के द्वारा अपने प्रतिशपथ-पत्र में उल्लेख किया जाता है कि संबंधित मामले में प्रतिशपथ-पत्र अन्य किसी विभाग के द्वारा दायर किया जा चुका है। इस बिन्दु पर वित्त विभाग के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि इस तरह के मामलों से संबंधित संचिका शीघ्र उनके सामने उपस्थापित किया जाय, ताकि वे संबंधित विभाग पर अपेक्षित कार्रवाई कर सकें।

3. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वार जमाबन्दी से संबंधित अवमाननावाद (MJC) के एक मामले का उल्लेख करते हुए बताया गया कि उक्त मामले के संबंध में संबंधित अधिवक्ता के द्वारा विभाग को आपत्तिजनक निर्देश दिया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अनुरोध किया गया कि इस आपत्तिजनक स्थिति से बचाव हेतु कार्रवाई किया जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि संबंधित अधिवक्ता के संबंध में विभागीय रिपोर्ट उनके समक्ष उपस्थापित करें, ताकि उक्त अधिवक्ता के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जा सके।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, एवं परिवहन विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, एवं नगर विकास एवं आवास विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

5. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा किया गया, जो निम्न हैं:-

CWJC

विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
ग्रामीण विकास विभाग	157	1	151
पंचायती राज विभाग	297	5	292
भवन निर्माण विभाग	87	5	81
कृषि विभाग	133	10	123
पथ निर्माण विभाग	133	11	123

MJC (अवमाननावाद)

विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
ग्रामीण विकास विभाग	12	0	12
पथ निर्माण विभाग	12	1	11
भवन निर्माण विभाग	11	1	10
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	18	2	16
ग्रामीण कार्य विभाग	16	2	14

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

6. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1664 मामले), स्वास्थ्य विभाग (731 मामले), समाज कल्याण विभाग (430), नगर विकास एवं आवास विभाग (423 मामले)**

एवं पंचायती राज विभाग (297) के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग** (152 मामले), **नगर विकास एवं आवास विभाग** (74 मामले) **स्वास्थ्य विभाग** (24 मामले), लोक **स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** (16 मामले) **एवं कृषि विभाग** (15 **मामले**) के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

7. सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बैठक हेतु ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

ह0 20/4/17
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...2202...**जे0** पटना, **दिनांक**-25-4-17

प्रतिलिपिः- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...2202...**जे0** पटना, **दिनांक**-25-4-17

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0
सरकार के सचिव, बिहार।